भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 485
बुधवार, 7 फरवरी, 2024 (18 माघ, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र की स्थिति

485 **श्री परिमल नथवानीः**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी आंदोलन को किस हद तक बढ़ावा मिला है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में और विशेष रूप से गुजरात, आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्यों में सहकारी क्षेत्र की समग्र वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) देश में अमूल के आकार और पैमाने पर काम करने वाले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) राज्यों में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सहकारिता मंत्रालय ने 06 जुलाई, 2021 को अपने गठन के बाद से "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों, संवैधानिक और गैर- संवैधानिक निकायों जैसे नाबार्ड, एनडीडीबी, एनसीडीसी, एनएफडीबी के साथ परामर्श करके कई पहलें की हैं।इन पहलों एवं अब तक हुई प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।

2. देश में लगभग 8,02,639 सहकारी समितियाँ 29 विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनमें से गुजरात, आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्य में क्रमशः 81307, 17659 और 11448 सहकारी समितियाँ हैं।

3. बहु-राज्य सहकारी सोसाईटी (अधिनियम), 2002 (यथा संशोधित) की अनुसूची II के अंतर्गत 19 बहु-राज्य सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालाँकि, इन 19 राष्ट्रीय सहकारी समितियों में से केवल इफको का आकार और पैमाना अमूल जितना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इफको का टर्नओवर ₹ 60,324 करोड़ था।

4. राज्यों में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का विवरण इस प्रकार है:-

(i) एनसीडीसी ने वर्ष 2019-20 से 30.11.2023 तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ₹ 1,62,868.77 करोड़ का ऋण वितरित किया है, जिनमें से ₹ 41,031.4 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में वितरित किए गए।

(ii) PACS को सशक्त करने के उद्देश्य से, 63,000 कार्यात्मक PACS के कम्प्यूटरीकरण के लिए ₹2,516 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें देश में सभी कार्यात्मक PACS को एक कॉमन ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के द्वारा एसटीसीबी और डीसीसीबी के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा हार्डवेयर खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कुल ₹ 488.42 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है ।

(iii) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से, केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र के भाग के रूप में ₹ 95.0 करोड़ जारी किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और सहकारी इकोसिस्टम में एकरूपता भी आएगी।

*****

अनुलग्नक

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई 54 पहलों का सार

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से ही "सहकार-से-समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने और देश में सहकारी आंदोलन को प्राथमिक से लेकर शीर्षस्थ स्तर की सहकारी समितियों में अग्रसर करने के लिए अनेक पहलें की हैं । अब तक की गई पहलों और उनकी प्रगति की सूची निम्नवत है:

क. प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

1. **पैक्स हेतु आदर्श उपविधियां जो उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएं बनाएंगी**: सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने तथा अपने प्रचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के भी उपबंध किए गए हैं । अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आदर्श उपविधियों को अंगीकार किया गया है या उनकी मौजूदा उपविधियां आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं ।
2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सशक्तिकरण:** पैक्स को सशक्ति करने हेतु 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें देश के सभी कार्यात्मक पैक्स को कॉमन ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शामिल है । इस परियोजना के अधीन 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 62,318 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं । सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है और अब तक 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 15,783 पैक्स को ईआरपी पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है ।
3. **कवर न हुए पंचायतों में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना:** सरकार द्वारा नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीडीसी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संघों के समर्थन से आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करते हुए नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को अनुमोदित किया गया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार 9000 से भी अधिक नए पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया अपने विभिन्न चरणों में है ।
4. **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के सृजन हेतु योजना का अनुमोदन किया है । इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आयेगी, किसानों को अपने उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं विभिन्न कृषि आवश्यकताओं को पैक्स स्तर पर ही पूरा किया जा सकेगा । 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF)

एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED) जैसे राष्ट्र-स्तरीय सहकारी संघों ने इस पायलट परियोजना के अधीन भंडारण क्षमता के सृजन के लिए 2,000 से भी अधिक पैक्स को चिह्नित किया है ।

5. **ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप मे पैक्स:** पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/बस/ हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। अब तक 30,647 पैक्स ने ग्रामीण नागरिकों को ई-सेवाएं प्रदान करना आरंभ कर दिया है जिससे पैक्स की आय में भी वृद्धि होगी ।
6. **<u>पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना:</u>** सरकार ने ऐसे प्रखंडों में जहां कोई कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहयोग से पैक्स द्वारा 1,100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने की अनुमति दी है । इसके अलावा, एनसीडीसी द्वारा 672 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना की गई है । इससे किसानों को आवश्यक बाजार लिंकेज उपलब्ध कराने और उन्हें अपने उपज का उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने तथा किसानों को आवश्यक बाजार लिंकेज उपलब्ध कराने में सहाय ता मिलेगी ।
7. **<u>खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए पैक्स को प्राथमिकता:</u>** सरकार ने पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आवंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC-2) में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है । तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कुल 240 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार अब तक तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा 55 पैक्स का चयन किया गया है ।
8. **<u>थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने हेतु पैक्स को अनुमति:</u>** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के आधार पर मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस प्राप्त पैक्स को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं जिससे पैक्स के लाभ में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे । 04 राज्यों के 109 पैक्स ने खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने की सहमति दे दी है जिसमें से 43 पैक्स को इस संबंध में तेल विपणन कंपनियों (OMCs) से आशय पत्र (LOI) प्राप्त हो गया है ।
9. **<u>अपने कार्यों में विविधता लाने के लिए पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पात्रता:</u>** सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी है । इससे पैक्स को अपनी आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ाने का एक विकल्प प्राप्त होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे । तीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कुल 9 पैक्स ने ऑनलाइन आवेदन किया है ।
10. **<u>ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक औषधियों तक पहुंच हेतु जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स:</u>** सरकार ने पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे उन्हें रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और ग्रामीण जनता को सस्ती जेनेरिक औषधियां उपलब्ध होंगी । अब तक 4,629 पैक्स/सहकारी समितियों ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है जिसमें से 2,475 पैक्स को आरंभिक

अनुमोदन भी दिया जा चुका है । इन 2,475 पैक्स में से 617 पैक्स को राज्य औषधि नियंत्रकों से औषधि लाइसेंस प्राप्त हो गया है और वे जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं ।

11. **<u>उर्वरक वितरण हेतु प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में पैक्स:</u>** सरकार ने देश में किसानों को उर्वरक और अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार 35,293 पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

12. **<u>ऊर्जा सुरक्षा हेतु पैक्स के स्तर पर PM-KUSUM का अभिसरण</u>:** पैक्स से जुड़े किसान सौर्य कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल करा सकते हैं ।

13. **<u>पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजनाओं के लिए प्रचालन और रखरखाव (O&M) कार्य:</u>** ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहल पर जलशक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं में प्रचालन व रख-रखाव (O&M) कार्य के लिए पैक्स को अनुमति प्रदान कर दी है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 14 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पंचायत/गांव के स्तर पर प्रचालन व रख-रखाव (O&M) कार्य हेतु 1,669 पैक्स की पहचान की गई है ।

14. **<u>डोर-स्टेप वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम:</u>** डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के बैंक मित्र भी बनाए गए हैं । उनके लिए सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम दिए जा रहे हैं जिससे वे 'डोर स्टेप वित्तीय सहायता' प्रदान कर सकें । पायलट परियोजना के रूप में गुजरात राज्य के पंचमहल और बनसकांठा जिले के बैंक मित्र सहकारी समितियों को 1,723 माइक्रो एटीम वितरित किए गए हैं ।

15. **<u>दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड:</u>** ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच और क्षमता विस्तार तथा डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक तरलता प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के सदस्यों को तुलनात्मक रूप से निम्नतर ब्याज दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय लेनदेनों में सक्षम करने हेतु रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) वितरित किए जा रहे हैं। अब तक, गुजरात के पंचमहल और बनसकांठा जिले में 1,23,685 रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) का वितरण किया गया है ।

16. **मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों का गठन (एफएफपीओ)**: मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु, एनसीडीसी द्वारा प्रारंभिक चरण में 69 एफएफपीओ का पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को एफएफपीओ में बदलने का कार्य सौंपा है ।

ख) <u>शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों का सशक्तिकरण</u>

17. **शहरी सहकारी बैंकों को व्यापार विस्तार करने हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5 शाखाएँ) तक नई शाखाएँ खोल सकेंगे ।

18. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की

जा सकती है। इन बैंकों के खाताधारक अब घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट, पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

19. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमति:** सहकारी बैंक बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अब तकनीकी राइट-ऑफ के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकेंगे।
20. **शहरी सहकारी बैंक को दिए गए प्राथमिक क्षेत्र उधार (PSL) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु दी गई समय-सीमा में वृद्धि:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए PSL के लक्ष्य को प्राप्त करने की दी गई समय-सीमा को दो वर्ष, अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
21. **शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित:** निकट समन्वय और केंद्रित इंटरएक्शन हेतु सहकारिता क्षेत्र के काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया गया है।
22. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक की गई:**
    i. शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा अब 30 लाख रुपये से दोगुनी कर 60 लाख रुपये कर दी गई है।
    ii. ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है।
23. **ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवास क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी:** इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि इससे हाउसिंग सहकारी समितियां भी लाभान्वित होंगी।
24. **सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया:** सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) से लिंक करके लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थान भी प्री-प्रोडक्शन चरण के पहले तीन महीनों में यह सुविधा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक के माध्यम से घर बैठे ही बैंकिंग की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
25. **ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को CGTMSE योजना में सदस्य ऋण संस्थान (MLI) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए गए कर्ज पर 85 फीसदी तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से संपार्श्विक मुक्त ऋण मिल सकेगा।
26. **शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** वे शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय सुदृढ़ और सुप्रबंधित' (FSWM) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बनाए हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

27. **गोल्ड लोन के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PSL लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है ।

28. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (यूओ) की स्थापना हेतु नैशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (नैफकब) को मंजूरी दे दी गई है, जिससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रचालन में सहायता मिलेगी ।

(ग) सहकारी समितियों को आयकर कानून में राहत

29. **एक करोड़ से दस करोड़ की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है:** इससे सहकारी समितियों पर आयकर के बोझ में कमी आएगी और समितियों के पास अपने सदस्यों के लिए हितकारी कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगी ।

30. **सहकारी समितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) की दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है:** इस उपबंध से सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच इस संबंध में अब समरूपता आयी है ।

31. **आय कर अधिनियम की धारा 269ST के अधीन नकद लेनदेन में राहत:** आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अधीन सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ एक दिन में किए गए 2 लाख रुपए से कम के नकद लेनदेन पर अलग से विचार किया जाएगा और उसपर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

32. **नई विनिर्माण सहकारी समितियों के कर में कटौती:** सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों को अधिभार सहित मौजूदा 30% तक की कर दर के बजाए 15% का सपाट निम्नतर दर पर कर लगाया जाएगा । इससे सहकारी क्षेत्र में नई सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

33. **पैक्स और PCARDBs द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा में वृद्धि:** सरकार ने पैक्स, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDBs) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर प्रति सदस्य 2 लाख रुपए कर दिया गया है । इस प्रावधान से उनके कार्यों में मदद मिलेगी, उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी और समितियों के सदस्यों का लाभ प्राप्त होगा ।

34. **नकद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा में वृद्धि:** केन्द्रीय सरकार ने सहकारी समितियों द्वारा नकद निकासी की प्रति वर्ष सीमा को स्रोत पर कर कटौती किए बिना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया है । इस प्रावधान से सहकारी समितियों के स्रोत पर कर कटौती में बचत होगी जिससे सहकारी समितियों की तरलता में वृद्धि होगी ।

(घ) सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

35. **<u>सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत:</u>** सरकार द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि सहकारी चीनी मिलों को अप्रैल, 2016 के पश्चात् उचित और लाभकारी मूल्य या राज्य सलाह मूल्य तक गन्ना किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्य का भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

36. **<u>सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित समस्याओं का समाधान:</u>** सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2023-24 में प्रावधान किया गया है कि आकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें 10,000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त होगी ।

37. **<u>सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण हेतु 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना का आरंभ:</u>** सरकार ने एथनॉल संयंत्र स्थापित करने या कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या फिर तीनों के लिए एक योजना आरंभ की है। एनसीडीसी द्वारा अब तक 25 सहकारी चीनी मिलों को 3,111 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत किया गया है ।

38. **<u>एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता:</u>** भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के अधीन एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप रखा जाएगा ।

39. **<u>मोलासस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया:</u>** सरकार ने मोलासस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है जिससे सहकारी चीनी मिल डिस्टिलरियों को को उच्चतर मार्जिन पर मोलासस की बिक्री कर अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे ।

ङ) <u>राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई बहुराज्य सहकारी समितियां</u>

40. **<u>प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी समिति:</u>** सरकार ने एकल ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए अंब्रेला संगठन के रूप में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना की है । 1,750 एकड़ में गेंहूं, सरसों और दलहन (चना, मटर) प्रजनक बीज बोए गए हैं । मूंगफली, धान, मक्का और श्रीअन्न के बुनियादी/प्रमाणित बीजों की खेती के प्रयास किए जा रहे हैं । अब तक 33 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 13,985 पैक्स/सहकारी समितियों ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन दिया है ।

41. **<u>जैविक कृषि के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य ऑर्गैनिक सहकारी समिति:</u>** सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक अंब्रेला संगठन के रूप में प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी ऑर्गैनिक्स समिति की स्थापना की है । अब तक राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) को सदस्यता हेतु 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 5,102 पैक्स/सहकारी समितियों का आवेदन प्राप्त हुआ है । 'भारत ऑर्गैनिक्स' ब्रांड के तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) द्वारा छह 6 जैविक उत्पाद लॉन्च किए गए हैं ।

42. **<u>निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति:</u>** सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन सहकारी क्षेत्र से निर्यात

को बढ़ावा देने के लिए अंब्रेला एजेंसी के रूप में एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति की स्थापना की है । अब तक राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति को सदस्यता हेतु 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 6,499 पैक्स/सहकारी समितियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं । राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को आज तक 20 देशों को 23.9 लाख मेट्रिक टन चावल और 2 देशों को 50,000 मेट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति प्राप्त हुई है ।

च. <u>सहकारी समितियों के लिए क्षमता निर्माण</u>

43. <u>राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरुकता निर्माण:</u> अपनी पहुंच को विस्तारित करते हुए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,01,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए 3,287 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया ।

44. <u>विश्व के सबसे बड़े सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना:</u> सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षित श्रमबल की संवहनीय और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं ।

छ. <u>'सुगम व्यवसाय' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग</u>

45. <u>केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण:</u> बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए डिजिटल परितंत्र सृजित करने हेतु केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है जिससे समयबद्ध तरीके से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को प्रोसेस करने में मदद मिलेगी ।

46. <u>राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यलयों के कंप्यूटरीकरण की योजना:</u> सहकारी समितियों के लिए 'सुगम व्यवसाय' में वृद्धि तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पारदर्शी कागज-रहित विनियमन हेतु एक डिजिटल परितंत्र के सृजन के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । अब तक इस परियोजना के अधीन 33 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से 30 प्रस्ताव अनुमोदित हो गए हैं ।

47. <u>कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण:</u> दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है । इस परियोजना के लिए नाबार्ड कार्यान्वियन एजेंसी है जो कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के लिए राष्ट्रीय स्तर का सॉफ्टवेयर का विकास करेगा । इस परियोजना के अधीन लीगेसी डेटा के डिजिटलीकरण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा । अब तक इस परियोजना के अधीन 8 राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित हो गए हैं ।

ज) <u>अन्य पहलें</u>

48. <u>प्रामाणिक और अद्यतित डेटा भंडार हेतु नई राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का सृजन:</u> राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है जो देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों के लिए सहायक होगा । इस डेटाबेस में अब तक लगभग 7.89 लाख सहकारी समितियों के डेटा कैप्चर किए गए हैं ।

49. **<u>नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का निर्माण:</u>** 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु एक जीवंत परितंत्र के सृजन के लिए देश भर के लिए गए 49 सदस्यों और हितधारकों को शामिल करके नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के निर्माण के लिए एक राष्ट्र-स्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

50. **<u>बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023:</u>** 97वां संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करने और बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्त करने, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित किया गया है ।

51. **<u>जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में शामिल करना:</u>** सरकार ने सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे वे किफायती खरीद एवं अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 67 लाख वेंडरों से माल और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे । जेम पोर्टल पर 'क्रेता' के रूप में अब तक 559 सहकारी समितियां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं ।

52. **<u>राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की सीमा और पहुंच का विस्तारण:</u>** एनसीडीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार'; मात्स्यिकी के लिए 'नील सहकार', इत्यादि । वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी ने 41,031 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया जो वर्ष 2021-22 में 34,221 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की तुलना में लगभग 20% अधिक है । सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सरकारी गारंटी के साथ 2000 करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी है जो विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन है । इसके अलावा एनसीडीसी पूर्वोत्तर के छह राज्य- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में उपकार्यालय स्थापित कर रहा है जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं को सहकारी समितियों के डोरस्टेप तक ले जाना है ।

53. **गहरे समुद्री ट्रॉलरों के लिए एनसीडीसी की वित्तीय सहायता**: मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के समन्वय से एनसीडीसी गहरे समुद्री ट्रॉलरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । एनसीडीसी ने महाराष्ट्र में मात्स्यिकी सहकारी समितियों के लिए 14 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए 20.30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर चुका है ।

54. **<u>सहारा समूह की समितियों के निवेशकों को रिफंड:</u>** सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को उचित पहचान तथा उनकी जमाराशियों व दावों के प्रमाण की प्रस्तुति पर पारदर्शी रीति से भुगतान हेतु एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है । उनकी जमाराशि और दावों के साक्ष्य की प्रस्तुति एवं उचित सत्यापन के पश्चात् ही संवितरण किया जा रहा है ।

*****